विषय:--न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू. पी. कमांक 13265/2015 डॉ. अनिता जिला-बानाघाट, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किये ज़िन बाबत् ।

डॉ अनिता पाराशर, जिला-बालाघाट, ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के संबंध में याचिका दायर की है। विषयांकित न्यायालय प्रकरण, में प्रमुख सचिव, भोपाल, / अयुक्त स्वास्थ्य, / संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, / सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बालाघाट, को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रकरण बालाघाट जिले से संबंधित है।

मानीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई दिनांक 14/03/2016 को नियत थी, /है। जिसमें शाजन पक्ष क्री और से प्रतिरक्षण किये जाने एवं वादोत्तर समय-सीमा में प्रस्तुत किये जाने हेतु जंभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रभारी अधीक्षक(लीगल)

DD (Regal) - N.A. उत्तिमानमार्थ क्षं माना की उक्षा में उत्पड्छा की क्राटक अवियो इसिर्मिनाची जल्डी हैं सद्वपद्यान नस्ती अभिका अध्य हिंद विश्वि विश्वाम का अद्वीर वाटा महन

DO (cegal) - MA

Direlon (ugal)


Cafer Campy

97 NO) 00 415-16, 90 10/03/16

विषय:—न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू. पी. क्रमांक 13265/2015 डॉ. अनिता पाराशर, क्रिला—बालाघाट, विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किये जाने बाबत् ।

The second second second second second second second

21/1595



(PUSHPENDRÁ YADAV) GOVT. ADVOCATE

Copy to: .

 Jt. Commissioner (Litigation) OIC Facilitation Centre, O/o Advocate General, M.P., Jabalpur.

CC: PATOHC

(PUSHPENDRA YADAV) GOVT. ADVOCATE

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश

क्रमांक / 4 / लीगल / जेवीपी / 2016 / पंजी - अर। / धार्ज भोपाल, दिनांकः / ०/०८/2016

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908) अधिनियम संख्या -5 के आदेश के सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन शक्तियों को प्रयोग में करते हुय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर, को उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू.पी. कमांक 13265/2015 डॉ. अनिता पाराशर, जिला-बालाघाट, विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में म.प्र.राज्य तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिकथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन करने उपस्थित होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र.विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य शर्तों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यूरो नीचे दिये हैं, निम्न लिखित कार्य करेगा :-

प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जॉच करेगा जैसे कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त 1. जानकारी देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संदर्भ में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभषंक को सहायता पहुचाने को संभालना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रिया पर विधि विभाग से परामर्श लिया गया था तो उस विभाग को राय भी रिपोर्ट में विनिष्ठ रूप से निर्दिष्ठ की जाए।

समस्त सुससंगत फाईल, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश आदि एकत्र करेगा।

वादपत्र/याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए जिससे कि 2. शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुंचाने की सम्भावना है, ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए एक 3. रिपार्ट तैयार करेगा।

उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता के संपर्क करेगा ।

शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करायेगा ।

प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-

(क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट ।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनको प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई ।

मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों का प्रतियाँ जिसमें वांद सुनवाई की तारिख भी शामिल होनी चाहिए ।

क्रमशः (2)

- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले, उसके 7. प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वंय को सदैव ही अवगत करना।
- जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है जब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने 10. और उनकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- जैसे हो उसके अपना स्थनांतरित आदेश प्राप्त होता है यह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल 11. जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंपे देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- प्रमारी अधिकारी, मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर समय सहयोग देगा तथा इस 12. बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य को दस्तावेज अप्रटित/छुपी हुई ना रह
- प्रभारी अधिकारी कार्यदि लोग अभियोजन मुर्करर है तो जैसे ही वाद का विनिश्चिय होता,परिवत्र की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट
- प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो यह बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन 14. मामलें में जहाँ किसी वाद के कम में पारित किए गए किसी अतिंरिम आदेश का पुनरीक्षण अप्रेषित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतः एवं वह इस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किए जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय) विभाग को प्रेषित

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विमाग

क्रमशः (3)